



संदर्भ सं. राबैं.पुनर्वित्त.नीति / 2830 A /आईएस-1/2019-20

परिपत्र सं. 74 /पुनर्वित्त- 13 /2020

30 मार्च 2020

प्रबंध निदेशक

सभी राज्य सहकारी बैंक

प्रिय महोदय

केवल केसीसी खातों के माध्यम से अल्पावधि के फसली ऋणों के लिए ब्याज सहायता और शीघ्र चुकौती प्रोत्साहन की प्रतिपूर्ति

उपर्युक्त विषय पर कृपया 13 मार्च 2020 के पत्र सं राबैं. पुनर्वित्त/2830/आईएस-1/2019-20 के संदर्भ में हमारे हमारा परिपत्र सं 61 देखें ।

2. पूरे देश में अधिकतर राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन और लोगों को घरों में रहने तथा आवश्यक वस्तुओं को छोड़ कर अन्य यातायात पर प्रतिबंध के अनुदेशों के चलते ग्राहक मूलधन की राशि और ब्याज बैंकों में जमा करने का कार्य और नए किसान कार्डों को जारी करने की औपचारिकताएँ पूरी न कर पाएंगे । कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने (जिसकी सूचना हमें

Reimbursement of Interest Subvention and Prompt Repayment Incentive for Short Term Crop loans only through KCC accounts

Please refer to our Circular Ref. No. 61 with Reference No. NB.DoR-Policy/2830/IS-1/2019-20 dated 13 March 2020 on the captioned subject.

2. In view of complete lock-down in most states of the country with instructions to people to stay indoors and restrictions on movement except for providing essential services, it is unlikely that customers would complete conversion/ closure of agri gold loan accounts by depositing the principal amount and interest in the banks and complete formalities for issue of new Kisan Credit Cards. It has therefore been decided by Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare, Government of India (communicated to us vide their office

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

National Bank for Agriculture and Rural Development

विभाग नाम

प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 26539325 • फैक्स: +91 22 26530090 • ई मेल: dor@nabard.org

Department of Refinance

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 26539325 • Fax: +91 22 26530090 • E-mail: dor@nabard.org


गाँव बढ़े >> तो देश बढ़े

www.nabard.org

Taking Rural India >> Forward

<p>उनके 28.03.2020 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा दी गयी -प्रति संलग्न) एग्रीकल्चर लोन अकाउंट्स और अन्य एग्री अकाउंट्स को केसीसी खातों में बदलने के लिए कट-ऑफ दिनांक को 31.05.2020 तक बढ़ा दिया है और ऐसे सभी खातों को ब्याज सहायता (आईएसएस) और शीघ्र चुकौती प्रोत्साहन (पीआरआई) के लाभ को भी उसके अनुसार 31.05.2020 तक देने का निर्णय लिया है।</p> <p>3. योजना के सभी अन्य नियम और शर्तें वही रहेंगी।</p>	<p>memorandum dated 28.03.2020-copy enclosed), to extend the cut-off date for conversion of agri gold loan accounts and other agri accounts into KCC accounts to 31.05.2020 with commensurate extension of interest subvention (ISS) and Prompt Repayment Incentive (PRI) benefit against such accounts till 31.05.2020.</p> <p>3. All other terms and conditions of the scheme remain same.</p>
--	--

भवदीय



(जिजि माम्मेन)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक : उपरोक्त अनुसार